

से पत्रावली दिनांक 237 को पेश हो।
पूर्व क. अ. अध्यापक रहेंगे।

23⁷/₂₄

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्ष
वहस आयन्दा करना चाहते हैं वहस हेतु अंतिम
अवसर दिया जाता है वान्ते पत्रावली वहस हेतु
निपत्र दिनांक 26.7.24 को पेश हो। अगली दिनांक
तक जारी अस्वार्थ निषेधाज्ञा बहाई जाती है।

26.7.24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को कितनी बार कंक
कंक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित
नहीं। वकील प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से प्रार्थी का प्रा
पत्र अग्रम हाजरी। अग्रम पेशी में श्वारीज किया
जाता है। दिनांक 4-6-20 को जारी अस्वार्थ निषेधाज्ञा
श्वारीज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
द्वे कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा